संख्या-159/2019/2464/22-2-2019-17(897)/2019

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 25 नवम्बर, 2019***

विषय:- जिला कारागार, सहारनपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राकेश पुत्र श्री कंवरपाल सिंह, निवासी जनपद-सहारनपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27774/प्रोबे0-5-दयायाचिका बैठक 06.08.2019 दिनांक 06.09.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी राकेश पुत्र श्री कंवरपाल सिंह जो रतनहेडी, थाना-बडगांव, जनपद-सहारनपुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दिनांक 19.12.2009 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गोली से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-608/2010 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-04, सहारनपुर के आदेश दिनांक 06.05.2015 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर ने अपनी आख्या में बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की है किन्तु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा बंदी द्वारा किया गया अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, एवं पुन: अपराध करने में सक्षम होने, की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की आयु, काटी गयी सजा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा बंदी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राकेश (बन्दी संख्या-1215/2015) पुत्र श्री कंवरपाल सिंह, निवासी जनपद-सहारनपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-159/2019/2464(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, सहारनपुर।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in